न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री राहुल सैनी, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
70/2020	दावा 88, 188 RTA	18.08.2020	05.04.2022

राजेश दईया पुत्र श्री इन्द्रचन्द दईया जाति जाट निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू (राजस्थान)

—वादी—

बनाम

1. भगवानी देवी पत्नी स्व.
2. अरविन्द पुत्र स्व.
3. मंजू पुत्री स्व.
4. रणवीरसिंह पुत्र स्व.
5. वेद प्रकाश पुत्र स्व.
6. वेद भाम्बू पूत्र स्व.
7. सुनिल पुत्र स्व.
8. सावित्री पुत्री स्व.

(1 से 8) बिरजाराम जाति जाट निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.)

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू (राज)
10. उप—पंजीयक महोदय, चूरू
11. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण शाखा तहसील व जिला चूरू (राज) जरिये शाखा प्रबंधक
12. जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, शाखा चूरू(राज) जरिये शाखा प्रबंधक

—प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए.

उपस्थित —1. अधिवक्ता श्री नन्दराम राहड़
2. अधिवक्ता श्री मोहनलाल सैनी प्रतिवादी सं. 1 से 8

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 1141/794 तादादी 1.1129 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1167/88 तादादी 0.8473 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 182/795 तादादी 0.2529 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 267 तादादी 1.5808 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 30 तादादी 2.5167 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 76 तादादी 7.8408 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 77 तादादी 0.5438 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 78 तादादी 0.0126 हैक्टेयर, (गैर मुमकिन कुण्ड), खसरा नम्बर 79 तादादी 2.2005 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 91 तादादी 1.5555 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल तादादी 18.4638 हैक्टेयर, वाके रोही खासौली तहसील व जिला चूरू में स्थित है जिसके वर्तमान खाता संख्या 198 तथा पुराने खाता सं. 200 है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 08 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 अंकित चला आ रहा है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 के पति बिरजाराम व प्रतिवादी संख्या 02 ता 08 के पिता से उपरोक्त कृषि भूमि में से खसरा नम्बर 1141/794 तादादी 4 बीघा 08 बिस्वा (1.1129 हैक्टेयर) में से पश्चिमी तरफ की 01 बीघा भूमि [illegible] दिनांक 20.01.2016 के खरीद की थी, जो बैनामा उप पंजीयक कार्यालय चूरू में दिनांक 20.0[illegible]16 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 400 में पृष्ठ 107 क्रम संख्या 20[illegible] पर [illegible] किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 1325 के पृष्ठ संख्या 105 से 120 पर चस्पा किया गया। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादी ने खसरा नम्बर 1141/794 में से पश्चिम तरफ की 1 बीघा भूमि कुल [illegible]/— रुपये में खरीद की थी तथा सम्पूर्ण प्रतिफल राशि विक्रय के [illegible] विक्रेता बिरजाराम को [illegible] दी थी तथा प्रतिवादी संख्या 01 के पिता व प्रतिवादी संख्या 02 ता 08 के पिता ने प्रतिफल राशि प्राप्त करके मौके पर भौतिक रूप से कब्जा व दखल वादी का करवा दिया था जो भी हक, हकूक, अधिकार, मालिकाना, खातेदारी के जो प्रतिवादी संख्या 01 कि पति व प्रतिवादी संख्या 02 ता 08 के पिता को प्राप्त थे। वो

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

ज्यों के त्यों वादी को अन्तरित कर दिये गये थे तथा उक्त भूमि का नामांतरण अपने नाम से करवाने का अधिकार भी प्रतिवादी संख्या 01 के पति व प्रतिवादी संख्या 02 ता 08 के पिता द्वारा वादी को दिया गया था एवं उक्त कृषि भूमि को खुद काश्त करने, किसी से काश्त करवाने, रहन बय एवं अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करवाने का अधिकार भी वादी को प्रतिवादी संख्या 01 के पति व प्रतिवादी संख्या 02 ता 08 के पिता द्वारा दिया गया था। खसरा नम्बर 1141/794 में से पश्चिमी तरफ की 1 बीघा भूमि विक्रय की दिनांक 20.01.2016 से ही वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा उक्त कृषि भूमि में गत वर्ष वादी ने ही बाजरा, मोठ, ग्वार की फसल काश्त करवायी थी एवं वादी का ही निरपेक्ष रूप से उक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त है। मौके पर वादी का ही वर्तमान में कब्जा है।

उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1141/794 में से पश्चिमी तरफ की 1 बीघा वादी द्वारा क्रय करने के पश्चात् वादी ने उक्त भूमि का बैनामा अपनी संदूक में रख दिया। वादी मजदूरी हेतु अन्यत्र रहता है, कभी कभार आता जाता रहता है, उसे उक्त कृषि भूमि का इंतकाल दर्ज करवाने का ज्ञान नहीं रहा। अब पूरे भारत में कोरोना वायरस की वजह से लोकडाउन हो जाने पर वादी भी अपने गांव खासोली आया हुआ था। वादी को रूपयों की आवश्यकता होने पर वादी ने के.सी.सी. लेने हेतु तहसील कार्यालय चूरू से जमाबंदी निकलवायी तो वादी को पता चला कि राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज नहीं है जिस पर वादी ने अपनी रजिस्ट्री लाकर हल्का पटवारी व तहसीलदार को दिखायी तथा इंतकाल दर्ज करने का निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि समय ज्यादा निकल गया है। बिरजाराम को साथ लेकर आवो तभी इंतकाल चढाया जायेगा, तब वादी को हल्का पटवारी ने बताया कि बिरजाराम की मृत्यु वर्ष 2017 में हो चुकी है तथा दिनांक 20.12.2017 को इंतकाल संख्या 1578 के जरिये उक्त कृषि भूमि उसके वारिसान के नाम दर्ज होने से वारिसान को लाने का कहा गया। वादी ने प्रतिवादीगण को साथ चलकर उसका इंतकाल दर्ज करवाने हेतु दिनांक 06.08.2020 को कहा, लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 इंतकाल दर्ज करवाने के लिए नित नये बहाने बनाकर टालमटोल करते रहे और आखिर दिनांक 14.08.2020 को प्रतिवादीगण ने तहसील में साथ चलकर इंतकाल दर्ज करवाने से इन्कार कर दिया। इस कारण यह आवश्यक हो गया है कि वादी अपने हितों की रक्षार्थ श्रीमान्‌जी के समक्ष चाराजोई करे। प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में 1/8 हिस्से में दर्ज होने के कारण वे बाला–बाला उक्त सम्पूर्ण भूमि को विक्रय करने पर आमादा हैं। उन्होंने ग्राहक भी तैयार कर रखे हैं तथा वे ग्राहक को बुलाकर भूमि कई बार दिखा चूके हैं। यदि प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 द्वारा उक्त भूमि को विक्रय कर दिया गया तो वादी के न्याय प्राप्ति में कई पैचीदगियां पैदा हो जायेंगी तथा वाद की बहुलता भी होगी। दावा के निस्तारण से पूर्व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 अपने हिस्से का विक्रय नहीं कर सके इसलिए उप–पंजीयक चूरू को पक्षकार बनाया गया है। यह कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 को कई बार कहा एवं कहलवाया कि वो उक्त कृषि भूमि का साथ चलकर तहसील में इंतकाल दर्ज करवा देवें जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 ने दिनांक 14.08.2020 को तहसील में साथ चलकर इंतकाल दर्ज करवाने से इन्कार कर दिया। वादी के लिए अन्य कोई फोरम नहीं रहा है जिसमें अनुतोष पा सके, इस कारण आवश्यक हो गया कि उक्त कृषि भूमि की घोषणा अपने पक्ष में श्रीमानजी के न्यायालय में करवा लेवे। वादगत भूमि कृषि भूमि होने के कारण घोषणा हेतु श्रीमानजी समक्ष दावा अन्दर मियाद पेश है। तहसीलदार भूमिधारक होने के कारण उसको भी पक्षकार बनाया गया है लेकिन उसके विरूद्ध कोई प्रतिकूल अनुतोष की मांग नहीं की गई है। इस कारण धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिये बगैर ही दावा पेश किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 ने दिनांक 14.08.2020 को उक्त कृषि भूमि का इंतकाल वादी के हक में कराये जाने से इन्कार कर दिया इस कारण वाद हैतुक पैदा हुआ। वादी के हक में प्रतिवादी संख्या 02 ता 08 के पिता द्वारा दिनांक 20.01.2016 को बैनामा तहरीर किये जाने के कारण वाद प्रस्तुत करने का वाद अधिकार प्राप्त है। यह कि वादगत कृषि भूमि खासौली तहसील व जिला चूरू में स्थित होने के कारण तथा वाद की विषय वस्तु कृषि भूमि [illegible] प्रकरण श्रीमानजी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है तथा उवित न्याय पर अन्दर मि[illegible] पेश [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:39 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न [illegible] अनुसार डिक्री फरमाया जावेः–

(क) घोषित किया जावे कि बैनामा दिनांक 20.01.2016 के मुताबिक कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर नम्बर 1141/794 तादादी 1.1129 हैक्टेयर, खसरा [illegible]र 1167/88 तादादी 0.8473 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 182/795 तादादी 0.2529 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 267 तादादी 1.5808 हैक्टेयर खसरा नम्बर 30 तादादी 2.5167 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 76 तादादी 7.8408 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 77 तादादी 0.5438

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

हैक्टेयर, खसरा नम्बर 78 तादादी 0.0126 हैक्टेयर, (गैर मुमकिन कुण्ड), खसरा नम्बर 79 तादादी 2.2005 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 91 तादादी 1.5555 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल तादादी 18.4638 हैक्टेयर, वाके रोही खासौली तहसील व जिला चूरू में से खसरा नम्बर 1141/794 की पश्चिमी तरफ की 1 बीघा भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है, प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 के हिस्से में से वादी का हिस्सा कायम किया जावे। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम दर्ज करने व वादी को अलग से पासबुक जारी किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

(ख) प्रतिवादीगण को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा वर्जित किया जावे कि वह वादी के हिस्से की कृषि भूमि का रहन, बय, विक्रय, हस्तान्तरण आदि नहीं करे, ना ही कोई ऐसा कार्य या उपकार्य करे, जिससे वादी के हितों पर विपरीत असर पड़ता हो।

(ग) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 से दिलवाया जावे। अन्य अनुतोष जो हितकर वादी हो वो भी वादी को प्रतिवादीगण 01 ता 08 से दिलवाया जावे।

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 की ओर श्री मोहन लाल सैनी एडवोकेट ने वकालत नामा पेश किया एवं अकित किया कि प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 की ओर से जवाब नहीं देना चाहता हूँ। प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से विनोद दनेवा एडवोकेट उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ इसलिए एकपक्षीय कार्यवाही की गई । प्रतिवादी संख्या 12 बैंक के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अंकित किया बैंक का हित सुरक्षित रखते हुए निर्णय किये जाने में कोई आपति नहीं है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 व 12 की ओर से पेश जवाब हेतु दिये गये अंकन में इन प्रतिवादीगण को दावा पर कोई आपति नहीं इसलिए पत्रावली में तनकी कायम किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं रही। पत्रावली साक्ष्य में नियत की गई । साक्ष्यवादी में वादी राजेश दईया ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिस पर गवाह के बयान लेखबद्ध किये गये। गवाह से जिरह वकील प्रतिवादी द्वारा की गई जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किये गये। वादी द्वारा अन्य साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते का कथन करने पर साक्ष्यवादी बन्द की गई। साक्ष्य प्रतिवादी में अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 ने साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते का कथन किया इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई। दावा पर वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता वादी ने बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 1141/794 तादादी 1.1129 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1167/88 तादादी 0.8473 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 182/795 तादादी 0.2529 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 267 तादादी 1.5808 हैक्टेयर खसरा नम्बर 30 तादादी 2.5167 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 76 तादादी 7.8408 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 77 तादादी 0.5438 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 78 तादादी 0.0126 हैक्टेयर, (गैर मुमकिन कुण्ड), खसरा नम्बर 79 तादादी 2.2005 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 91 तादादी 1.5555 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल तादादी 18.4638 हैक्टेयर, वाके रोही खासौली तहसील व जिला चूरू में स्थित है जिसके वर्तमान खाता संख्या 198 तथा पुराने खाता सं. 200 है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 08 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 अंकित चला आ रहा है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 के पति बिरजाराम व प्रतिवादी संख्या 02 ता 08 के पिता से उपरोक्त कृषि भूमि में से खसरा नम्बर 1141/794 तादादी 4 बीघा 08 बिस्वा (1.1129 हैक्टेयर) में से पश्चिमी तरफ की 01 बीघा भूमि जरिये बैनामा दिनांक 20.01.2016 के खरीद की थी। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादी ने खसरा नम्बर 1141/794 में से पश्चिमी तरफ की 1 बीघा भूमि कुल 96000/- रूपये में खरीद की थी तथा सम्पूर्ण प्रतिफल राशि बैनामा के समय विक्रेता बिरजाराम को अदा कर दी थी तथा प्रतिवादी संख्या 01 के पति व प्रतिवादी संख्या 02 ता 08 के पिता ने प्रतिफल राशि प्राप्त करके मौके पर भौतिक रूप से कब्जा व दखल वादी को करवा दिया था जो भी हक, हकूक, अधिकार, मालिकाना, खातेदारी के जो प्रतिवादी संख्या 01 के पति व प्रतिवादी संख्या 02 ता 08 के पिता को प्राप्त थे, वो ज्यों के त्यों वादी को अन्तरित कर दिये गये थे तथा उक्त भूमि का नामांतरण अपने नाम से करवाने का अधिकार भी प्रतिवादी संख्या 01 के पति व प्रतिवादी संख्या 02 ता 08 के पिता द्वारा वादी को दिया गया था एवं उक्त कृषि भूमि को खुद काश्त करने, किसी से काश्त करवाने, रहन बय

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

एवं अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करवाने का अधिकार भी वादी को प्रतिवादी संख्या 01 के पति व प्रतिवादी संख्या 02 ता 08 के पिता द्वारा दिया गया था। खसरा नम्बर 1141/794 में से पश्चिमी तरफ की 1 बीघा भूमि विक्रय की दिनांक 20.01.2016 से ही वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा उक्त कृषि भूमि में गत वर्ष वादी ने ही बाजरा, मोठ, ग्वार की फसल काश्त करवायी थी एवं वादी का ही निरपेक्ष रूप से उक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त है। मौके पर वादी का ही वर्तमान में कब्जा है। उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1141/794 में से पश्चिमी तरफ की 1 बीघा भूमि का बैनामा अपनी सन्दुक में रख दिया। वादी मजदूरी हेतु अन्यत्र रहता है, उसे उक्त कृषि भूमि का इंतकाल करवाने का ज्ञान नहीं रहा है। वर्तमान में विक्रेता बिरजाराम की मृत्यु हो जाने से उसके हिस्से की भूमि उसके वारिसान प्रतिवादी सं. 1 से 8 के नाम दर्ज हो चुकी है। इसलिए वादी अपनी खरीदशुदा 1 बीघा भूमि की खातेदारी घोषणा करवा कर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है जिस पर प्रतिवादी सं. 1 से 8 को कोई आपत्ति व एतराज नहीं है। अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने कथन किया कि उक्त वादगत कृषि भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम अंकित चली आ रही है। उक्त कृषि भूमि में खसरा नम्बर 1141/794 में से पश्चिम तरफ की 0.2529 हैक्टेयर (1 बीघा) भूमि विक्रेता श्री बिरजाराम प्रतिवादी सं. 2 ता 8 के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 के पति द्वारा क्रेता राजेश दईया पुत्र श्री इन्द्रचंद दईया को जरिये विक्रय पत्र विक्रय की गई थी। इस भूमि में से खसरा नम्बर 1141/794 में से पश्चिम तरफ की 0.2529 हैक्टेयर (1 बीघा) भूमि का वादी राजेश दईया को खातेदार घोषित किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाकर बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2070–2073 रोही ग्राम खासोली खसरा नम्बर 1141/794, 1167/88, 182/795, 267, 30, 76, 77, 78, 79, 91 तादादी क्रमशः 1.1129 है., 0.8473 है., 0.2529 है., 1.5808 है., 2.5167 है., 7.8408 है, 0.5438 है, 0.0126 है., 2.2005 है., 1.5555 है कुल तादादी 18.4368 है. में प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 की खातेदारी दर्ज है। प्रदर्श–2 विक्रय–पत्र में दर्ज तथ्य के अनुसार वादगत कृषि भूमि के तत्कालीन खातेदार विक्रेता श्री बिरजाराम ने उपर वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1141/794 तादादी 4 बीघा 8 विश्वा में से पश्चिमी तरफ की 1 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादी राजेश दईया को विक्रय कर कब्जा क्रेता को सौंपा जाना अंकित है। उक्त विक्रय पत्र आज भी एक वैध दस्तावेज है। वादी द्वारा दावा में अंकित कथनानुसार विक्रय पत्र का नामान्तरकरण दर्ज करने के नियमों की जानकारी नहीं होने से वादी ने उक्त व्रिकय पत्र का नामान्तरकरण दर्ज नहीं करवाया। वर्तमान में विक्रेता खातेदार की मृत्यु हो चुकी है तथा सम्पूर्ण वादगत कृषि भूमि विक्रेता खातेदार बिरजाराम के वारिसान के नाम दर्ज हो चुकी है जिससे काफी प्रयासों के बाद भी उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज नहीं हो सका। इसलिए वादी ने यह दावा न्यायालय के समक्ष पेश किया है। वादी ने दावा में वादगत कृषि भूमि के पूर्व खातेदार बिरजाराम के वारिसान प्रतिवादी सं. 1 से 8 को पक्षकार बनाया है जिन्होंने उपस्थित होकर दावा में चाहे गये अनुतोष को स्वीकार करते हुए अनापत्ति प्रकट की है। रहनकर्ता बैंकों के खिलाफ वादी द्वारा कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:39 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली एवं दस्तावेजों के अवलोकन [illegible] के तथ्यों पर मनन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादी द्वारा वाद[illegible] 41/794 तादादी 4 बीघा 8 विश्वा में से पश्चिमी तरफ की 1 बीघा [illegible] विक्रय पत्र साधिकार क्रय की है तथा मौके पर कब्जा प्राप्त [illegible] 1 बीघा भूमि पर विक्रय पत्र के समय से आज तक निरन्तर वादी का कब्जा काश्त रहा है [illegible]सको प्रतिवादी सं. 1 से 8 ने भी स्वीकार किया है तथा यदि दावा स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादी सं. 1 से 8 को कोई आपत्ति या एतराज नहीं है। उक्त विक्रय पत्र को किसी भी पक्ष द्वारा किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती देने का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिससे उक्त विक्रय पत्र आज भी एक वैध दस्तावेज है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

इसलिए वादी जरिये विक्रय पत्र खरीदशुदा ख.नं. 1141/794 की पश्चिमी तरफ की 1 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। दावा में प्रतिवादी सं. 1 से 8 द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है इसलिए बिना किसी उचित कारण के प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार वादी का दावा आंशिक रूप से खातेदारी घोषणा की हद तक स्वीकार करने योग्य है।

निर्णय

अतः उपरोक्त विस्तृत विवेचना के आलोक में दावा वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर क्रमशः 1141/794, 1167/88, 182/795, 267, 30, 76, 77, 78, 79, 91 तादादी क्रमशः 1.1129, 0.8473, 0.2529, 1.5808, 2.5167, 7.8408, 0.5438, 0.0126, 2.2005, 1.5555 कुल तादादी 18.4368 हैक्टेयर रोही ग्राम खासोली तहसील चूरू में से वादी को ख.नं. 1141/794 तादादी 1.1129 हैक्टेयर की पश्चिमी तरफ की 0.2529 हैक्टेयर (1 बीघा) कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार, चूरू को आदेश दिया जाता है कि मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राहुल सैनी)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उप खण्ड अधिकारी (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:39 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(ब्प्टप्स् च्त्वब्मकनतम ब्वकमए ।च्चमदकपग ष्क्.1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.

राजेश दईया पुत्र श्री इन्द्रचंद दईया जाति जाट निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू (राजस्थान)

–वादी–

बनाम

1. भगवानी देवी पत्नी स्व.
2. अरविन्द पुत्र स्व.
3. मंजू पुत्री स्व.
4. रणवीरसिंह पुत्र स्व.
5. वेद प्रकाश पुत्र स्व.
6. वेद भाम्बू पूत्र स्व.
7. सुनिल पुत्र स्व.
8. सावित्री पुत्री स्व.

} बिरजाराम जाति जाट निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.)

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू (राज)
10. उप–पंजीयक महोदय, चूरू
11. बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण शाखा तहसील व जिला चूरू (राज) जरिये शाखा प्रबंधक
12. जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, शाखा चूरू(राज) जरिये शाखा प्रबंधक

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 70 सन् 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री नन्दराम राहड़ व श्री सुरेन्द्र राहड़ एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब श्री मोहनलाल सैनी व श्री विनोद दनेवा एडवोकेट प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर क्रमशः 1141/794, 1167/88, 182/795, 267, 30, 76, 77, 78, 79, 91 तादादी क्रमशः 1.1129, 0.8473, 0.2529, 1.5808, 2.5167, 7.8408, 0.5438, 0.0126, 2.2005, 1.5555 कुल तादादी 18.4368 हैक्टेयर रोही ग्राम खासोली तहसील चूरू में से वादी को ख.नं. 1141/794 तादादी 1.1129 हैक्टेयर की पश्चिमी तरफ की 0.2529 हैक्टेयर (1 बीघा) कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार, चूरू को आदेश दिया जाता है कि मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करवाकर पालना सूचना वहन करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 05 माह अप्रेल सन् 2022 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:39 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल सैनी)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)